



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/1209

दिनांक:- 05/10/2023

—:कार्यवाही विवरण:—

विषय:- भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की 27/2023 वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है। बैठक के दौरान जोन-3 के प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये।

विषय:- भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की जोन-3 की 23/2023 वीं, 24/2023 वीं व 25/2023 वीं बैठक क्रमशः दिनांक 06.09.2023, दिनांक 11.09.2023 व दिनांक 12.09.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय:- समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत सर्व-सम्मति से गत बैठकों दिनांक 06.09.2023, दिनांक 11.09.2023 व दिनांक 12.09.2023 में लिए गए निर्णय की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण के अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा गत बैठकों में लिए गए निम्न निर्णयों में निम्नानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया:-

01. बी.पी.सी. (एल.पी.) की दिनांक 20.07.2023 को आयोजित बैठक के एजेण्डा संख्या 33 (आवेदक-श्रीमति पुष्पा भाटी पत्नी श्री छंवरलाल) में आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 18 मीटर निर्धारित किया गया था। उक्त सड़क पर प्राधिकरण द्वारा पूर्व में 24 मीटर सड़क मार्गाधिकार का प्रावधान करते हुये पट्टा विलेख जारी किये गये हैं। अतः समिति द्वारा जोन स्तर से प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किये गये कमिटमेंट की उपलब्धता के अभाव में निर्धारित 18 मीटर के स्थान पर पूर्व में किये गये कमिटमेंट अनुसार 24 मीटर रखे जाने का निर्णय लिया गया। शेष शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेगी।

02. बी.पी.सी. (एल.पी.) की दिनांक 06.09.2023 को आयोजित बैठक के एजेण्डा संख्या 16 (आवेदक-श्रीमति चम्पादेवी पत्नी श्री भीयाराम) व एजेण्डा संख्या 17 (आवेदक-श्री दुर्गाराम पुत्र श्री अन्नाराम व अन्य) में आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित पट्टीनुमा भूमि को 12 मीटर सड़क मार्गाधिकार निर्धारित किया गया था। उक्त के संबंध में आवेदकों द्वारा आपत्ति मय पूर्व में जारी पट्टा विलेखों की प्रति उपलब्ध करवायी गयी। अतः समिति द्वारा मौका स्थिति, प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पट्टा विलेखों एवं जोन स्तर से प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किये गये कमिटमेंट की पुष्टि के आधार पर निर्धारित 12 मीटर सड़क मार्गाधिकार (A-B, B-C) को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया। शेष शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेगी।

03. बी.पी.सी. (एल.पी.) की दिनांक 12.09.2023 को आयोजित बैठक के एजेण्डा संख्या 05 (आवेदक-मैसर्स शुभम् के. मार्ट प्रा. लि. अधिकृत प्रतिनिधि श्री मयंक जैन पुत्र श्री लखपतराज जैन) में टंकण त्रुटि के सुधार उपरान्त राजस्व ग्राम जोधपुर के स्थान पर राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी तथा खसरा संख्या 466/9, 466/10, 466/8, 466/2, 266/3 के स्थान पर खसरा संख्या 466/9, 466/10, 466/8, 466/2, 466/3 पढा, लिखा व समझा जावें।

एजेण्डा संख्या 01 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
26.09.2023	जोन-3	जोधपुर	1989/936	01.14.00 बीघा	Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री जगदीश व श्री दुर्गाराम पुत्रान् श्री डूंगरराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1989/936 रकबा 01.14.00 बीघा में Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				

निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि मुख्य एम्स सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर रखा जावें। साथ ही आवेदित भूमि के आगे सडक भाग में गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति प्राप्त करते हुए नियमानुसार सेफटी-कोरीडोर व उसके उपरांत 12 मीटर सडक का प्रावधान किया जावें। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के विन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है 0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 5. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के विन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 6. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें। 7. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नहीं हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें। 8. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन-प्रार्थी स्तर पर की जावें। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
-----------------	---

एजेण्डा संख्या 02 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
26.09.2023	जोन-3	जोधपुर	1991/936	03.07.18 बीघा	Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री मोहनराम पुत्र श्री नाथाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1991/936 रकबा 03.07.18 बीघा में Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि मुख्य एम्स सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर रखा जावें। साथ ही आवेदित भूमि के आगे सडक 				

	<p>भाग में गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति प्राप्त करते हुए नियमानुसार सेप्टी- कोरीडोर व उसके उपरांत 12 मीटर सडक का प्रावधान किया जावे। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में से गुजर रही मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान की 30 मीटर सडक का अंकन किया जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के विन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 5. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 6. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के विन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 7. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावे जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावे। 8. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावे। 9. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन-प्रार्थी स्तर पर की जावे। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
--	---

एजेण्डा संख्या 03 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
26.09.2023	जोन-3	जोधपुर	1992/936	03.07.18 बीघा	Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री भगाराम, श्री चम्पाराम, श्री सांवरलाल पुत्रान् श्री ईसाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1992/936 रकबा 03.07.18 बीघा में Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि मुख्य एम्स सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के आगे सडक भाग में गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति प्राप्त करते हुए नियमानुसार सेप्टी- कोरीडोर व उसके उपरांत 12 मीटर सडक का प्रावधान किया जावे। सडक				

	<p>मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जीविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</p> <p>2. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में से गुजर रही मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान की 30 मीटर सडक का अंकन किया जावे।</p> <p>3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।</p> <p>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</p> <p>5. मास्टर प्लान की डीरीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</p> <p>6. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटवेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।</p> <p>7. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावे जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावे।</p> <p>8. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नहीं हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावे।</p> <p>9. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन-प्रार्थी स्तर पर की जावे।</p> <p>10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	--

एजेण्डा संख्या 04 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
26.09.2023	जोन-3	जोधपुर	1988/936	03.07.18 वीघा	Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री कानाराम पुत्र श्री किशनाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1988/936 रकबा 03.07.18 वीघा में Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन वायत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				
	<p>1. आवेदित भूमि मुख्य एम्स सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के आगे सडक भाग में गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति प्राप्त करते हुए नियमानुसार सेफटी- कोरीडोर व उसके उपरांत 12 मीटर सडक का प्रावधान किया जावे। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जीविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</p>				

<ol style="list-style-type: none"> 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 5. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 6. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावे जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावे। 7. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावे। 8. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन-प्रार्थी स्तर पर की जावे। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 05 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
26.09.2023	जोन-3	जोधपुर	1990/936	03.07.18 बीघा	Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री अमलकराम पुत्र श्री हरजीराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1990/936 रकबा 03.07.18 बीघा में Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि मुख्य एम्स सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के आगे सडक भाग में गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति प्राप्त करते हुए नियमानुसार सेपटी- कोरीडोर व उसके उपरांत 12 मीटर सडक का प्रावधान किया जावे। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 				



3.	राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4.	मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।
5.	प्रकरण में जोन उपायुक्त एवम् विधि शाखा की राय अनुसार मानचित्र का अनुमोदन माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा। उक्त के संबंध में आवेदक से अपडरटेकिंग प्राप्त की जावे एवम् उक्त की सुनिश्चितता आवेदक एवं जोन द्वारा की जावे।
6.	प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।
7.	आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावे जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावे।
8.	आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावे।
9.	अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन-प्रार्थी स्तर पर की जावे।
10.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
11.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 06 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
26.09.2023	जोन-3	सरेचा	371	4.0711 है०	औद्योगिक (मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब) एकल भूखण्ड
आवेदक	हस्ती पेट्रो केमिकल एवं शिपिंग लि. जरिये श्री भंवर सिंह भाटी				
विषय:-	राजस्व ग्राम सरेचा के खसरा संख्या 371 रकबा 4.0711 है० में औद्योगिक (मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 30 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 30 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 15 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 2. आयोजना शाखा द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक द्वारा चाहा गया उपयोग औद्योगिक (मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब) मास्टर डवलपमेंट प्लान में आरक्षित 				

भू-उपयोग रेलवे यार्ड के सामानान्तर ही होने के कारण अनुमत किया जाना चाहिए, जिसे समिति द्वारा अनुज्ञेय किया गया। उपरोक्त निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही पूर्ण की जावें।
--

एजेण्डा संख्या 07 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
26.09.2023	जोन-3	खेडा सरेचा	855/778	1.2950 है०	औद्योगिक (मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब) एकल भूखण्ड
आवेदक	हस्ती पेट्रो केमिकल एवं शिपिंग लि. जरिये श्री भंवर सिंह भाटी				
विषय:-	राजस्व ग्राम खेडा सरेचा के खसरा संख्या 855/778 रकबा 1.2950 है० में औद्योगिक (मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बावत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 855/778 एवम् प्राधिकरण द्वारा पूर्व में खसरा संख्या 777, 777/1 हेतु जारी पट्टा विलेख का संयुक्तिकरण कर तथा नियमानुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान अन्यत्र कर प्रश्नगत भूमि का रूपान्तरण चाहा गया है। विचार-विमर्श उपरांत प्रकरण में समिति द्वारा रेलवे विभाग एवम् राज्य सरकार के साथ किये गये एम.ओ.यू को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक जनहित में अनुमत किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदक द्वारा दिए गए प्रतिवेदन एवम् अप्ण्डर टेकिंग अनुसार सम्पूर्ण भूमि को एकजाई नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जावें।				

एजेण्डा संख्या 08 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
26.09.2023	जोन-3	भाण्डू कलां	537/125, 534/128	2.6943 है०	Non-Polluting Handicraft Industries एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री रूचिर पारख पुत्र श्री रमेश पारख				
विषय:-	राजस्व ग्राम भाण्डू कलां के खसरा संख्या 537/125, 534/128 रकबा 2.6943 है० में Non-Polluting Handicraft Industries एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बावत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि मुख्य बाडमेर सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर तथा उसके उपरान्त 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण-पूर्वी एवं दक्षिण-पश्चिमी दिशा में मौका स्थिति अनुसार जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सडक का अंकन करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावें। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार केवल Non-Polluting Handicraft Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Polluting Handicraft Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 5. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 				

	<p>1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।</p> <p>6. आवेदित भूमि के सामने सड़क भाग में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति प्राप्त करते हुए नियमानुसार रोफटी-कोरीडोर का प्रावधान किया जावें। साथ ही आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सड़क के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें।</p> <p>7. आवेदित भूमि में सड़क मार्गाधिकार में निर्माण नहीं हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें।</p> <p>8. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन-प्रार्थी स्तर पर की जावें।</p> <p>9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।</p> <p>10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	---

एजेण्डा संख्या 09 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
26.09.2023	जोन-3	पाल	46/2, 46, 46/1	8083.61 वर्गगज	संयुक्तिकरण प्रकरण
आवेदक	श्री अरूण सिधंवी पुत्र श्री धनपतमल सिधंवी				
विषय:-	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 46/2, 46, 46/1 में स्थित फार्म हाउस प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या 06 का क्षेत्रफल 4399.73 वर्गगज व खसरा संख्या एवं 63 में स्थित फार्म हाउस प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या 42 का क्षेत्रफल 3683.88 वर्गगज कुल क्षेत्रफल 8083.61 वर्गगज के संयुक्तीकरण बाबत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत प्रकरण में पुनर्गठन उपरांत प्रश्नगत भूखण्ड का क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण प्राधिकरण की अनुशंसा के साथ प्रकरण को समस्त तथ्यों के साथ राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 10 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
26.09.2023	जोन-3	पाल	721/312, 722/312, 723/312 व 725/312	07.16.18 बीघा	ओ.सी.एफ व क्लब हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री बद्रीराम जाखड पुत्र श्री गणेशराम, श्री रामकिशोर पुत्र श्री बद्रीराम, श्री रामजीवन चौधरी पुत्र श्री बद्रीराम, श्री जुगलकिशोर चौधरी पुत्र श्री बद्रीराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 721/312, 722/312, 723/312 व 725/312 रकबा 07.16.18 बीघा में ओ.सी.एफ व क्लब हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत आवेदक द्वारा दिनांक 04.09.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार समस्त खातेदारों के एक ही परिवार के होने के कारण सम्पूर्ण भूमि को एक केम्पस के रूप में विकसित किये जाने हेतु किय गये निवेदन को समिति द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				

7

1. आवेदित भूमि मुख्य बाडमेर सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तावित दोनों उपयोगो को एकजाई रूप में प्रयोग किया जावेगा जिसमें आने जाने के लिए मुख्य सडक को पहुंच मार्ग के तौर पर उपयोग में लिया जावेगा।
3. उक्त दोनों उपयोगों हेतु पृथक-पृथक सेटबैक का निर्धारण किया जावें तथा क्लब हाउस (जो कि ओ.सी.एफ में अनुज्ञेय है) हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में पीछे की ओर स्थित औद्योगिक (Non-Obnoxious Industries) प्रयोजन तक आने-जाने के लिए निर्धारित सेटबैक को सम्पूर्ण रूप से खुला रखा जावें।
4. यदि आवेदक द्वारा भविष्य में उक्त उपयोग का विखण्डन किया जाकर उपयोग या बेचान किया जाता है तो उक्त स्थिति में मुख्य सडक से पीछे की ओर स्थित औद्योगिक प्रयोजन को नियमानुसार 18 मीटर का पहुंच मार्ग आवेदक से पृथक से उपलब्ध करवाया जावेगा, अन्यथा प्राधिकरण उक्त निर्णय को निरस्त कर आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्रत होगा। उक्त की सुनिश्चितता हेतु पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन द्वारा आवेदक से अण्डरटेकिंग प्राप्त की जावें।
5. प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक द्वारा ओ.सी.एफ व क्लब हाउस हेतु केम्पस प्लानिंग के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर तदानुसार आवश्यकता होने पर जोन स्तर पर नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाकर 90/क आदेश के संशोधन की कार्यवाही की जावें।
6. आवेदक द्वारा जमाबन्दी से अधिक क्षेत्रफल का आवेदन किया गया है जिसके संबंध में परीक्षणोपरांत नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
7. आवेदित भूमि में मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
8. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें।
9. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
10. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
11. औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि में मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
12. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नहीं हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें।
13. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन-प्रार्थी स्तर पर की जावें।
14. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
15. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 11 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
26.09.2023	जोन-3	पाल	323	कुल रकबा 10.13.00 बीघा में से 04.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री भूरसिंह पुत्र श्री हमीरसिंह				
विषय:-	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 323 रकबा कुल रकबा 10.13.00 बीघा में से 04.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 12 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. निदेशक आयोजना द्वारा नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए दिये गए सुझावों (पहुंच मार्ग, पार्क, एस.डब्ल्यू.एम, मोबाईल टॉवर, 10 फीट पाथ-वे इत्यादि से संबंधित) एवम् टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों को समावेश करते हुए समिति द्वारा ले-आउट प्लान जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। 3. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 4. योजना का क्षेत्रफल 2 है. से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरांत किया जा सकेगा। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 7. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 8. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 9. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावें। 10. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सडक, पार्क इत्यादि की मौके पर डिमार्केशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावें। 11. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 12. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

10

एजेण्डा संख्या 12 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
26.09.2023	जोन-3	खारडा भाण्डू	179 / 15, 176 / 15	8419.00 वर्गमीटर	कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री भंवरलाल पुत्र श्री चम्पालाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम खारडा भाण्डू के खसरा संख्या 179 / 15, 176 / 15 रकबा 8419.00 वर्गमीटर में कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट एवं जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 18 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 4. प्रस्तावित भूखण्ड हेतु जिला उद्योग केन्द्र / संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज जोन स्तर पर प्राप्त किया जाकर पट्टा विलेख जारी किया जावे। 5. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरान्त अग्रिम कार्यवाही जोन / प्रार्थी द्वारा की जावे। 6. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावे जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावे। 7. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 8. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावे। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 13 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
26.09.2023	जोन-3	खारडा भाण्डू	176 / 15, 178 / 15	8094 वर्गमीटर	कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री रामस्वरूप गोधा पुत्र श्री कालुराम गोधा, श्री भंवरलाल पुत्र श्री चम्पालाल				

विषय:-	राजस्व ग्राम खारडा भाण्डू के खसरा संख्या 176/15, 178/15 रकबा 8094 वर्गमीटर में कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट एवं जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 18 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 4. प्रस्तावित भूखण्ड हेतु जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज जोन स्तर पर प्राप्त किया जाकर पट्टा विलेख जारी किया जावे। 5. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरान्त अग्रिम कार्यवाही जोन/प्रार्थी द्वारा की जावे। 6. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति प्राप्त करते हुए नियमानुसार सेप्टी-कोरीडोर का प्रावधान किया जावे। साथ ही आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावे जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावे। 7. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 8. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नहीं हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावे। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 14 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
26.09.2023	जोन-3	खारडा भाण्डू	180/15	4856 वर्गमीटर	कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री रामस्वरूप गोधा पुत्र श्री कालुराम गोधा				
विषय:-	राजस्व ग्राम खारडा भाण्डू के खसरा संख्या 180/15 रकबा 4856 वर्गमीटर में कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट एवं जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 18 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। 				

- सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
- राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
 - राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के विन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
 - प्रस्तावित भूखण्ड हेतु जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज जोन स्तर पर प्राप्त किया जाकर पट्टा विलेख जारी किया जावे।
 - अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरान्त अग्रिम कार्यवाही जोन/प्रार्थी द्वारा की जावे।
 - आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावे जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावे।
 - प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के विन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।
 - आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नहीं हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावे।
 - उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
 - प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 15 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
26.09.2023	जोन-3	भाण्डू कलां	504/74	513 वर्गमीटर	वाणिज्यिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती कमला पत्नी श्री जगदीश प्रजापत				
विषय:-	राजस्व ग्राम भाण्डू कलां के खसरा संख्या 504/74 रकबा 513 वर्गमीटर में वाणिज्यिक (कॉम्प्लेक्स) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				
	<ol style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि के सामने स्थित समर्पित मार्ग का मार्गाधिकार 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के विन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 18 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 09 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। प्रश्नगत प्रकरण में चाहे गये वाणिज्यिक (कॉम्प्लेक्स) उपयोग के संबंध में परीक्षण कर तदानुसार आवश्यकता होने पर जोन स्तर पर नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाकर 90/क आदेश के संशोधन की कार्यवाही की जावे। साथ ही ऑनलाईन पोर्टल पर 				

90/क में उपयोग अथवा क्षेत्रफल में संशोधन किये जाने के संबंध में जोन से राज्य सरकार को ऑनलाईन पोर्टल पर संशोधन का विकल्प उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा जावे।

3. आवेदक द्वारा जमाबन्दी से अधिक क्षेत्रफल का आवेदन किया गया है जिसके संबंध में परीक्षणोपरांत नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
6. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।
7. आवेदित भूमि के पास सड़क भाग में से गुजर रही विद्युत लाईन के सेप्टी-कोरीडोर व उसके उपरांत 12 मीटर सड़क से आवेदित भूमि प्रभावित नहीं है, की सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सड़क के सहारे शिफ्ट किया जावे जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावे।
8. आवेदित भूमि में सड़क मार्गाधिकार में निर्माण नहीं हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावे।
9. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन-प्रार्थी स्तर पर की जावे।
10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।


एजेण्डा संख्या 16 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
26.09.2023	जोन-3	सांगरिया	155/3	01.10.18 बीघा	Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री नेमचंद वैद व श्री नेकी वैद पुत्र श्री नेमचंद वैद				
विषय:-	राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 155/3 रकबा 01.10.18 बीघा में Non-Obnoxious Industries एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 18 मीटर सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 				

18

	<ol style="list-style-type: none"> 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 5. आवेदित भूमि में मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के विन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटवेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 6. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सड़क के सहारे शिफ्ट किया जावे जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावे। 7. आवेदित भूमि में सड़क मार्गाधिकार में निर्माण नहीं हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावे। 8. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन-प्रार्थी स्तर पर की जावे। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
--	---

उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।




उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/1710-15 दिनांक:- 05/10/23
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
03. निदेशक (आयोजना/अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
04. उपायुक्त (जोन-3), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
05. सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
06. प्रोग्रामर/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।




उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की 27/2023 वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. हरीतिमा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियान्त्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री श्रवण सिंह राजावत, उपायुक्त (जोन-3) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |
| 7. प्रियंका चौपडा, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | |



उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव